FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम बड़ीसादड़ी

दौलतराम बनाम सुरेश

किस्म मुकद्दमा 86 R.T.Act नं. 116/-18 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/6/18	राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट मुंडवा पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 86 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि दौलतराम पुत्र शंकरलाल जाति गाड़ी लुहार निवासी ज्योतिपुरा द्वारा अपना नाम पप्पूलाल से दौलतराम करवाने बाबत डाक पेश किया गया। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि मौजा ज्योतिपुरा की आ.न. 184 मि.नं. 5 रकबा 2.07 भाग 67.34 के पप्पूलाल के बजाय दौलतराम नाम किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बड़ीसादड़ी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (जितेन्द्र कुमार पाण्डे) RAS पीठासीन अधिकारी, लोक अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं [illegible] बड़ीसादड़ी (राज.) न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बड़ीसादड़ी सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official	दौलतराम सुरेशचन्द्र पुष्पा सावित्री दौलतराम